राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मध्यप्रदेश

लिंक रोड–3, पत्रकार कॉलोनी के सामने भोपाल

क्रमांक/एन.एच.एम./एच.डब्ल्यू.सी./ 2022/2020 भोपाल, दिनांक 16/03/2022

//आदेश//

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन), MPMSU द्वारा संचालित सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हैल्थ (CCH) के जुलाई–दिसम्बर 2021 के उत्तीर्ण निम्न प्रशिक्षणार्थियों की च्वॉइस–फिलिंग के आधार पर, उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं.–04 में दर्शित जिले के उपस्वास्थ्य केन्द्र में आगामी आदेश तक संविदा कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के रूप में पदस्थापना की जाती है।

S.N.	App ID	Name	District	Block	HWC-SHC Name	NIN
1	19103	Rupali Dhakse	Burhanpur	Khaknar	SHC Karkheda	2878652466
2	6108	Astha	Shivpuri	Badarwas	SHC Indar	7244278268

दिशा निर्देश:–

1. संविदा CHO को 15 दिवस के अन्दर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से, आबंटित उपस्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। अन्यथा यह नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी। नियत अवधि में ज्वाइन नहीं करने वाले अभ्यार्थियों को राशि 2 लाख रूपये बॉण्ड की शर्तों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को जमा करना होगा।
2. यदि अपरिहार्य स्थिति में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो संविदा CHO द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अनुमति प्राप्त करना होगा।
3. ज्वाइन करते समय संविदा CHO को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समस्त दस्तावेज तथा शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट जमा करना होगा। गर्भावस्था/अन्य बीमारी की स्थिति में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किये गये मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ ही संविदा कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर को कर्तव्य पर उपस्थित होने की अनुमति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
4. संविदा पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक (दिनांक 31 मार्च 2022) के लिये अनुबंध होगा।
5. आवंटित उपस्वास्थ्य केन्द्र पर न्यूनतम 1 वर्ष सेवा देने के पूर्व स्थानांतरण हेतु आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे।
6. संविदा CHO को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्य आवंटन किया जायेगा। संविदा अवधि में रू. 25,000/– प्रति माह मासिक मानदेय एवं अधिकतम रू. 15,000 प्रति माह कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
7. संविदा CHO को ज्वाईनिंग उपरांत पदस्थापना क्षेत्र में निवास करना आवश्यक होगा।
8. संविदा CHO को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नही लेना/अकारण अनुपस्थित पाया जाना कदाचार माना जायेगा।
9. संविदा CHO द्वारा कदाचरण करने अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. संविदा CHO मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होंगे।
11. मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा CHO को सक्षम अधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
12. संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितिकरण के संबंध कोई मांग या दावे स्वीकार्य नही होंगे।
13. संविदा की सेवा शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के संविदा मानव संसाधन मैन्युअल वर्ष–2021 (संशोधित) के अनुरूप होगी।

(प्रियंका दास)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (म.प्र.)

पृ. क्रमांक / एन.एच.एम. / एच.डब्ल्यू.सी / 2022 / 2020 भोपाल, दिनांक 16/03/2022

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. संचालक एनएचएम मध्यप्रदेश।
4. संचालक वित्त, एनएचएम मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, अनूपपुर, बुरहानपुर, छतरपुर, रीवा और शिवपुरी मध्यप्रदेश।
6. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, एनएचएम मध्यप्रदेश।
7. समस्त उपसंचालक, एनएचएम मध्यप्रदेश।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
9. उपसंचालक आई.टी. एनएचएम की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनूपपुर, बुरहानपुर, छतरपुर, रीवा और शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
11. संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक, अनूपपुर, बुरहानपुर, छतरपुर, रीवा और शिवपुरी, एनएचएम मध्यप्रदेश, की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि जिला एम एण्ड ई अधिकारी के माध्यम से HWC Portal, NCD Portal, e-Sanjeevani में जानकारी अद्यतन करें और संबंधित CHO की ऑनलाईन आई.डी. निर्मित करें।
12. आदेश नस्ती।

मिशन संचालक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (म.प्र.)